

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1991 (कैव्र 1, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना।

(1) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (8) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रमहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (विविधजियक) क्रमांक 3 एवं 5 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानार्थण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के तवा बांध से गिट्टी एवं लकड़ी की अवैध निकासी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के गोबर्धन थानान्तर्गत लूट की हुई घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री शिवराज सिंह, सदस्य, बरगी बांध के पानी से कृषकों की फसलों नष्ट होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री सूबेदार सिंह/ श्री गजराजसिंह सिकरवार / डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश की चम्बल एवं भाण्डेर नहर से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा पुलिस द्वारा बस चालक के साथ अकारण मारपीट की घटना की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री मोतीलाल दवे / उदय प्रकाश मिश्र, सदस्य, प्रदेश के सीमावर्ती शहरों में बड़ी संख्या में राजस्थान प्रदेश की भेड़ एवं ऊंट के आगमन से फसलों को हुई क्षति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री अनुप मिश्रा / विश्वम्भर नाथ पाण्डेय / उदय प्रकाश मिश्र, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मंडल में जहरीली गैस से हुई मौतों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य, रायसेन जिले की पत्थर फर्शी की खदाने बंद होने से बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर खर्निंज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम लसूत्यागोरी की एक हरिजन विवाहिता से बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री मोतीलाल वोरा / जगदम्बा प्रसाद निगम / आरिफ अकील, सदस्य सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम मेतवाड़ा में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं गोलीचालन की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥१॥ श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्दौर स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय में हुई अभिनकाण्ड की दुर्घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥२॥ डॉ. धर्मवीर, सदस्य, ग्वालियर में जे.सी.मिल बंद होने से श्रमिकों में बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥३॥ श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना के परसमनिया शाखा के बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥४॥ सर्वश्री पूरनसिंह पलैया / गंजराज सिंह रिक्सवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के बिलौआ थानान्तर्गत जौरासी घटिया के पास लूट की हुई घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥५॥ श्री हरीसिंह नरवरिया, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फैलोरैसिस बीमारी का प्रकोप होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

॥६॥ श्री मोतीलाल बोरा, सदस्य, दुर्ग - रायपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को सहायता न मिलने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

॥१॥ श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

॥२॥ श्री उदय सिंह पण्डया, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की सभा [कोर्ट] के लिए राज्य विधान सभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन।

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा ॥।॥ के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की सभा [कोर्ट] के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य द्वारा दिनांक ॥। मार्च, 1991 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा [क्रमशः]:

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्य गण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

॥१॥ सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल / जगदम्बा प्रसाद निगम सदस्य मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सेवाओं में पदों और रिक्तियों का आक्षण, विधेयक, 1991 (क्रमांक 2 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

॥२॥ श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त [संशोधन] विधेयक, 1991 (क्रमांक 3 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

8. अशासकीय संकल्प

॥१॥ श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन की राय में प्रदेश में चलाये जा रहे परम्परागत एवं कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण कराया जाये एवं कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धियों के आधार पर कारीगरों को छोटे उद्योग खोलने हेतु क्रृष्ण उपलब्ध कराया जायें।"

निर्धारित समय
20 मिनिट

20 मिनिट

20 मिनिट

30 मिनिट

। चंदा

[2] श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में परिवार नियोजन अनिवार्य रूप से लागू किया जाये।"

[3] श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

"सदन का मत है कि गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं पर शिक्षण शुल्क की वसूली आदि के संबंध में नियम एवं मापदण्ड लागू करने हेतु शिक्षा संहिता नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर इन संश्लेषणों द्वारा की जाँ रही मनमानी वसूली को नियंत्रित किया जाये।"

[4] श्री गोविन्द शर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का मत है कि प्रदेश के धर्म स्थानों के पुजारियों हेतु मानदेय की दरों को तत्काल पुनरीक्षित किया जाये और बढ़ी हुई दरों पर भुगतान अविलम्ब कराया जाये।"

[5] श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का यह मत है कि मुरैना भिण्ड जिलों में चम्बल, कुआरी व आसन आदि नदियों के होने वाले कटाव को तुरन्त रौका जावे तथा बीहड़ भूमि को तुरन्त नजदीकी ग्रामवासियों में वंटित की जावे। साथ ही पट्टेधारियों को बंध बंधिया बनाने हेतु अर्थिक सहायता दी जावे।"

9. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद्य सामग्री एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल एवं श्री रामानंद सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

10. नियम-52 के अधीन आवे घटे की चर्चा

[1] दिनांक 14 मार्च, 1991 को पंचायत मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 [क्रमांक 43] के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

[2] दिनांक 19 दिसम्बर, 1990 को मुख्यमंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 [क्रमांक 268] के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामानन्द सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल
दिनांक 21 मार्च, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा